न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी **विकास ऐचरा** RJS (आरजे 00746)

सेशन प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्याः– 10/2022

CNR RJSK160003662022

एफ.आई.आर. रिपोर्ट संख्या 147/2021 पुलिस थाना रामगढ़ सेठान

राजस्थान राज्य

बनाम

1– हबीब भाटी पुत्र अलाउदीन भाटी उम्र 66 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 26 झगड़ा मस्जिद के पास कस्बा रामगढ सेठान पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर।

–––अभियुक्त

उपस्थिति–
1–श्री जय कौशिक, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2–श्री भीमसिंह महला, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

अपराध अन्तर्गत धारा–295A, भारतीय दण्ड संहिता व
66–F आईटी एक्ट
अपराध का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	21.09.2021 एवं उससे पूर्व किसी समय
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.09.2021
आरोप–पत्र पेश किये जाने की तिथि	04.08.2022
आरोप विरचित किये की तिथि	01.11.2022
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	16.12.2022
निर्णय की तिथि	17.05.2025
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	17.05.2025

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं. प्र.सं.के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1–	हबीब भाटी	23.09.21	24.09.21	259A, भारतीय दण्ड संहिता व 66–F आईटी एक्ट	दोषसिद्ध	2 (दो) वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000/– रूपये अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास	23.09.21 से 24.09.21

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क–अभियोजन गवाहान

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
पी.डब्ल्यू–1	कैलाश सौनी	आहत व फर्दजब्ती
पी.डब्ल्यू–2	शिवराज	आहत व फर्दजब्ती मोबाइल
पी.डब्ल्यू–3	कुलदीप पीपलवा	आहत व फर्दजब्ती स्क्रीनशॉट
पी.डब्ल्यू–4	मोनू चोटिया	आहत
पी.डब्ल्यू–5	पंकज शर्मा	आहत
पी.डब्ल्यू–6	संदीप कुमार	एफएसएल में माल जमा करवाना
पी.डब्ल्यू–7	रोहिताश	आहत व शिकायतकर्ता
पी.डब्ल्यू–8	सूर्यप्रकाश	फर्द गिरफ्तारी हबीब भाटी व जब्ती
पी.डब्ल्यू–9	उमाशंकर	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्ल्यू–10	उदय सिंह	अन्वेषण अधिकारी

ख . प्रतिरक्षा साक्ष्य (यदि कोई हो तो) निल

ग–न्यायालय साक्ष्य (यदि कोई हो तो) निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा /न्यायालय प्रदर्शो की सूची

क–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्श का विवरण**
1	प्रदर्श–पी 1/P.W.1	फर्दजब्ती स्क्रीनशॉट दिनांक 22.09.2021
2	प्रदर्श–पी 2/P.W.2	फर्दजब्ती मोबाइल स्क्रीनशॉट दिनांक 22.09.2021
3	प्रदर्श–पी 3 से 8/P.W.3, 4, 5, 6, 7, 8	स्क्रीनशॉट
4	प्रदर्श–पी 9/P.W.3	धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
5	प्रदर्श–पी 10/P.W.6	अग्रेषण पत्र दिनांक 21.12.2021
6	प्रदर्श–पी 11/P.W.6	पावती रसीद एफएसएल दिनांक 22.12.2021

7	प्रदर्श–पी 12	लिखित रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021
8	प्रदर्श–पी 13	चाक एफआईआर दिनांक 21.09.2021
9	प्रदर्श–पी 14/P.W.8	फर्दजब्ती मोबाइल प्रोफाइल स्क्रीनशॉट 23.09.21
10	प्रदर्श–पी 15/P.W.8	फर्दजब्ती मोबाइल दिनांक 23.09.2021
11	प्रदर्श–पी 16/P.W.8	फर्द गिरफ्तारी हबीब भाटी दिनांक 23.09.2021
12	प्रदर्श–पी 17/P.W.10	एफएसएल रिपोर्ट

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्श (यदि कोई हो तो)– निल–

ग–न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो तो)– निल–

घ–माल विषय संख्या–निल–

नि र्ण य **दिनांक 17.05.2025**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रोहिताश द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–12) दिनांक 21.09.2021 में अंकन किया गया है कि हबीब भाटी द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से कई बार हिन्दू देवी–देवताओं पर अश्लील पोस्ट कर टिप्पणी किये जाने तथा हाल ही में भगवान गणपति के बारे में अश्लील टिप्पणी की जाने से हिन्दू समाज की भावना आहत हुई हैं, अतः कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट पर एफआईआर (प्रदर्श पी–13) अपराध अंतर्गत धारा 295A, 298 भारतीय दण्ड संहिता व 66–F आईटी एक्ट में दर्ज कर अन्वेषण के पश्चात् हबीब भाटी के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 295A,, 298 भारतीय दण्ड संहिता व 66–F आईटी एक्ट में न्यायलय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा उपर्युक्त आपराधिक धाराओं में प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट किया गया एवं दिनांक 02.09.2022 को प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज किया गया।

2– जिसके पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त हबीब भाटी को अपराध अंतर्गत धारा 298 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से उन्मोचित करते हुए धारा 295A भारतीय दण्ड संहिता व 66–F आईटी एक्ट में आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोपों से इनकार कर विचारण चाहा गया।

3– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के संक्षिप्त विवरण में वर्णित सूची अनुसार पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 10 को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तोवजी साक्ष्य में उपर्युक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेज प्रदर्श–पी 1 से प्रदर्श–पी 17 प्रदर्शित करवाये गये।

4– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त को धारा –313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा गया।

5– उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य से आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

उपर्युक्त तर्को के खण्डन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साइबर आतंकवाद के अपराध का गठन नहीं होता है एवं अभियुक्त से जब्त किये गये मोबाइल को मालखाना में रखे जाने का कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही मोबाइल को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जावे।

6– उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैंः–

(1) क्या अभियुक्त हबीब भाटी द्वारा दिनांक 21.09.2021 से पूर्व किसी समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी फेसबुक आईडी से हिन्दू धर्म के देवी–देवताओं के संबंध में उनकी मान्यताओं को जानते हुए उनका साशय अपमान करने व उस धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई?

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

7– आरोपित अपराध साबित करने के लिए अभियोजन साक्षियों द्वारा परीक्षा में किये गये कथन संक्षेप में निम्नानुसार हैं ः–

(i) पी.डब्ल्यू–1 कैलाश सोनी ने उसके मोबाइल नंबर 9351492181 होकर फेसबुक

का उपयोग किये जाने व हबीब भाटी के नाम से फेसबुक आईडी पर श्रीगणेश जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने जिससे हिन्दू समाज को ठेस पहुंचने, कुलदीप द्वारा 6 स्क्रीनशॉट पेश किये जाने जो जरिये प्रदर्श पी–1 जब्त होने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने हबीब भाटी के नाम से फर्जी आईडी बनी हुई हो तो नहीं बता सकने का सुझाव स्वीकार किया है।

(ii) पी.डब्ल्यू–2 शिवराज ने उसका मोबाइल नंबर 6377654663 होने तथा फेसबुक का उपयोग किये जाने व हबीब भाटी की फेसबुक आईडी से हिन्दू देवी–देवताओं की अश्लील फोटो डाली हुई होने जिसमें हिन्दू समाज पर टिप्पणी की गयी होने तथा हिन्दू लोगों को ठेस पहुंचने व रोहिताश द्वारा अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट दिये जाने जो जरिये प्रदर्श पी–2 जब्त किये जाने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

(iii) पी.डब्ल्यू 3 कुलदीप पीपलवा ने उसका मोबाइल नंबर 8619241599 होने, उस पर फेसबुक चलाने, सितंबर 2021 में उसके द्वारा भाटी मोहम्मद हबीब के नाम से फेसबुक आईडी से श्रीगणेशजी पर अभद्र टिप्प्णी की गयी होने जिसे देखकर उसकी भावना आहत होने, उस फेसबुक आईडी से अनेकों बार ऐसी पोस्ट डाले जाने, उसके द्वारा उस मोबाइल के 6 स्क्रीनशॉट पुलिस को दिये जाने जिसकी जब्ती प्रदर्श पी–1 होने तथा स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–3 से पी–8 होने एवं उसके द्वारा दिया गया धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–9 होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में फेसबुक आईडी में जो पोस्ट डाली गयी थी वो कहां से डाली गयी नहीं बता सकने एवं फेसबुक आईडी हबीब भाटी ही चला रहा हो उसे नहीं पता होने का सुझाव स्वीकार किया है।

(iv) पी.डब्ल्यू 4 मोनू चोटिया ने अपने पास मोबाइल रखने तथा भाटी मोहम्मद हबीब के नाम से आईडी में हिन्दू देवी–देवताओं की गलत पोस्ट किये जाने तथा गणेशजी भगवान पर अश्लील पोस्ट डाले जाने जिससे हिन्दुओं की भावना आहत होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने पोस्ट कहां से आई थी वह नहीं बता सकने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(v) पी.डब्ल्यू 5 पंकज शर्मा ने उसके द्वारा मोबाइल पर फेसबुक चलाये जाने तथा भाटी मोहम्मद हबीब नाम से भगवान गणेजी सहित हिन्दू देवी–देवताओं व सनातन धर्म के खिलाफ लिखे हुए होने जिन्हें देखकर रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु जाने तथा इस पर पहले से ही रिपोर्ट दर्ज होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने हबीब भाटी की फेसबुक आईडी कब की व कहां बनी हुई थी यह नहीं बता सकने का सुझाव स्वीकार किया है।

(vi) पी.डब्ल्यू 6 संदीप कुमार ने पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर में कार्यरत होकर एसपी कार्यालय सीकर से अग्रेषण पत्र तैयार करवाया जाकर दिनांक 22.12.2021 को हस्तगत प्रकरण में मालखाना इंचार्ज से सील्डशुदा दो पैकेट मय अग्रेषण पत्र एफएसएल जयपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर थाने पपर लाकर दिये जाने, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–10 तथा एफएसएल में जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–11 होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने माल उसे मालखाना इंचार्ज द्वारा दिये जाने का सुझाव स्वीकार किया है।

(vii) पी.डब्ल्यू 7 रोहिताश ने दिनांक 21.09.21 को रामगढ थाने में हबीब भाटी द्वारा श्रीगणेश जी महाराज के लिए फेसबुक पर गलत पोस्ट डालने की रिपोर्ट दिये जाने, यह पोस्ट उसके द्वारा अपने मोबाइल नंबर 6376879553 पर दिये जाने, इस पोस्ट में 'गणपति महाराज नाबालिग का रेप करते हुए' लिखा होने, ये पोस्ट देखकर उसके मन में तकलीफ होने तथा उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–13 तथा फर्दजब्ती मोबाइल स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–2 होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने प्रदर्श पी–12 उसके मित्र कुलदीप द्वारा लिखी हुई होने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(viii) पी.डब्ल्यू 8 सूर्यप्रकाश ने दिनांक 12.09.21 को पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होकर मुकदमा नंबर 147/21 में फेसबुक आईडी द्वारा की गई टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट 6 नग उसके सामने जब्त किये जाने, जब्ती प्रदर्श पी–1 तथा स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–8 होने, फर्दजब्ती मोबाइल स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–2

होने, फर्दजब्ती मोबाइल प्रोफाइल स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–14 होने, फर्दजब्ती मोबाइल स्क्रीनटच प्रदर्श पी–15 होने तथा अभियुक्त को जरिये प्रदर्श पी–16 गिरफ्तार किये जाने एवं इन दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने प्रदर्श पी–14 व पी–15 एसएचओ के बताये अनुसार लिखे जाने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(ix) पी.डब्ल्यू 9 उमाशंकर ने दिनांक 21.09.21 को पुलिस थाना रामगढ सेठान में एसएचओ के पद पर कार्यरत होकर रोहिताश द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 व उस पर दर्ज एफआईआर प्रदर्श पी–13 होने जिस पर उसके हस्ताक्षर होने, परिवादी द्वारा कुल 6 स्क्रीनशॉट पेश किये जाने जिन्हें जब्त कर शामिल पत्रावली किये जाने, प्रकरण में जब्त किये गये मोबाइल व स्क्रीनशॉट वास्ते परीक्षण पुलिस अधीक्षक सीकर से अग्रेषण पत्र प्राप्त करवाकर एफएसएल जयपुर में जमा करवाये जाने व अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने इस प्रकरण का निष्कर्ष अन्वेषण अधिकारी द्वारा निकाले जाने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(x) पी.डब्ल्यू 10 उदय सिंह ने दिनांक 21.09.21 को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर के पद पर कार्यरत होकर एफआईआर संख्या 147/21 में अन्वेषण के दौरान स्क्रीनशॉट की जब्ती प्रदर्श पी–2 बनाये जाने, कुलदीप पीपलवा द्वारा आरोपी की फेसबुक आईडी की टिप्पणियों की कुल 6 स्क्रीनशॉट उसके द्वारा जरिये प्रदर्श पी–1 जब्त किये जाने, स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–8 शामिल पत्रावली किये जाने, अभियुक्त हबीब भाटी को जरिये प्रदर्श पी–16 गिरफ्तार किये जाने तथा अभियुक्त के कब्जे से स्क्रीनटच मोबाइल को जब्त कर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर मार्क ए अंकित किये जाने, फर्दजब्ती प्रदर्श पी–15 होने जिस पर उसके हस्ताक्षर होने, फर्दजब्ती मोबाइल प्रोफाइल स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–14 होने जिस पर उसके हस्ताक्षर होने, आरोपी का मोबाइल व स्क्रीनशॉट एफएसएल मिलान हेतु पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–10 होने, रसीद एफएसएल प्रदर्श पी–11 तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 होने व अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–8 अभियुक्त के मोबाइल से नहीं लिये जाने बल्कि साक्षियों द्वारा पेश किये जाने व प्रदर्श पी–3 से पी–8 साक्षिया द्वारा पेश किये जाने तथा उन्हीं के द्वारा जेनेरेट किये जाने के सुझाव को स्वीकार किया है। साक्षी ने उसके द्वारा जब्त किया गया मोबाइल परीक्षा के दिन न्यायालय में नहीं होने के सुझाव को स्वीकार किया है।

8– उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपित अपराध के सम्बन्ध में उपर्युक्त साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार से है–

(i) प्रकरण में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–12) प्रस्तुत करने वाले रोहिताश पी.डब्ल्यू 7 तथा शिवराज (पी.डब्ल्यू 2) एवं कुलदीप पीपलवा (पी.डब्ल्यू 3) और मोनू चोटिया (पी.डब्ल्यू 4) व पंकज शर्मा (पी.डब्ल्यू 5) के द्वारा स्वयं मोबाइल रखने तथा मोबाइल में भाटी मोहम्मद हबीब के नाम से फेसबुक आईडी पर हिन्दू देवी–देवताओं की अश्लील फोटो डाली हुई होने तथा कुछ और भी पोस्ट डाली हुई होने जिससे हिन्दू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने का कथन किया गया है एवं पी.डब्ल्यू 7 ने गणपति महाराज की फोटो के साथ 'गणपति महाराज नाबालिग का रेप की कोशिश करते हुए' लिखा होने का तथ्य जाहिर किया है तथा उपर्युक्त साक्षियों द्वारा भाटी मोहम्मद हबीब नामक फेसबुक आईडी पर हिन्दू देवी–देवताओं की अश्लील फोटो डाली हुई होने के तथ्य का अभियुक्त द्वारा खण्डन नहीं किया जा सका है। यद्यपि बहस के दौरान एवं अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी (351 बीएनएसएस) में अपनी फेसबुक आईडी हेक हो जाने की संभावना व्यक्त करते हुए उसकी फेसबुक आईडी पर किसी और के द्वारा फोटो डाली गयी हो तो उसे जानकारी नहीं होने का तर्क/कथन किया गया है लेकिन अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे प्रकट होता हो कि अभियुक्त की फेसबुक आईडी वक्त घटना हेक कर ली गयी हो।

(ii) उपर्युक्तानुसार फेसबुक पर गणेशजी महाराज के बारे में की गयी टिप्पणी से आहत होकर रोहिताश के द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी –12 प्रस्तुत की गयी है जिस पर एफआईआर प्रदर्श पी–13 प्रस्तुत कर अन्वेषण के दौरान जरिये प्रदर्श पी–2 रोहिताश द्वारा प्रस्तुत मोबाइल स्क्रीनशॉट को जब्त किया गया है, जिसकी पुष्टि अन्वेषण अधिकारी व जब्ती साक्षियों द्वारा भी की गयी है।

(iii) इसके पश्चात् अन्वेषण के दौरान कुलदीप पीपलवा (पी.डब्ल्यू 3) के द्वारा अपनी मोबाइल फेसबुक से 6 स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को दिये जाने जिन्हें प्रदर्श पी–1 जब्त किये जाने तथा स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–8 होने का कथन किया गया है। साथ ही अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट प्राप्त करने के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है एवं प्रदर्श पी–1 के माध्यम से दस्तावेज प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–8 जब्त किये जाने की पुष्टि अन्वेषण अधिकारी उदय सिंह व पी.डब्ल्यू 1 कैलाश सोनी तथा पी.डब्ल्यू 8 के द्वारा की गयी है जिसका अभियुक्त द्वारा कोई खण्डन नहीं किया जा सका है।

(iv) इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी–15 के माध्यम से स्क्रीनटच मोबाइल अभियुक्त से जब्त किया गया है तथा इस जब्ती की पुष्टि अन्वेषण अधिकारी उदय सिंह(पी.डब्ल्यू 10) व साक्षी सूर्यप्रकाश (पी.डब्ल्यू 8) के द्वारा की गयी है एवं अभियुक्त द्वारा इस जब्ती का कोई खण्डन नहीं किया जा सका है। उपर्युक्त जब्ती दिनांक 23.09.2021 के पश्चात् अग्रेषण पत्र (प्रदर्श पी–10) के माध्यम से जब्त किये गये मोबाइल व स्क्रीनशॉट के सील्डशुदा पैकेट मय अग्रेषण पत्र मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एफएसएल जयपुर में दिनांक 22.12.2021 को जमा करवाकर रसीद प्रदर्श पी–11 प्राप्त किये जाने के कथन संदीप कुमार (पी.डब्ल्यू 6) के द्वारा किये गये हैं तथा इस संबंध में संदीप कुमार के कथनों का प्रतिपरीक्षा में कोई खण्डन नहीं हो सका है।

यद्यपि प्रदर्श पी–15 के माध्यम से जब्त किया गया मोबाइल मालखाना में रखे जाने के संबंध में मालखाना इंचार्ज को परीक्षित नहीं करवाया जा सका है किन्तु अभियोजन द्वारा इसका कारण साक्षी की मृत्यु हो जाना जाहिर किया गया है एवं पी.डब्ल्यू 6 के द्वारा सील्डशुदा पैकेट मालखाना इंचार्ज से प्राप्त किये जाने का कथन प्रतिपरीक्षा में किया गया है साथ ही पी.डब्ल्यू 9 के द्वारा भी प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त किये गये मोबाइल व स्क्रीनशॉट वास्ते परीक्षण पुलिस अधीक्षक से अग्रेषण पत्र जारी कर एफएसएल जयपुर में जमा करवाये जाने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त एफएसएल को प्रेषित किये गये पैकेट्स में पाये गये मोबाइल व सिम एवं डाटा कार्ड के इंटेक्ट अवस्था में नहीं होने का एफएसएल रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में मालखाना इंचार्ज को परीक्षित नहीं करवाये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि जब्त किया गया मोबाइल जब्ती व

एफएसएल को प्रेषित किये जाने के मध्य की अवधि में सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा गया हो अथवा उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गयी हो।

(v) इस प्रकार से अन्वेषण के दौरान जब्त किये गये मोबाइल को परीक्षण हेतु एफएसएल को प्रेषित किये जाने के पश्चात् एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 प्राप्त हुई है जिसमें यद्यपि मोबाइल में आरोप में वर्णित फोटोग्राफ्स के जैसे कोई फोटोग्राफ्स स्टोर होना नहीं पाया गया है किन्तु मोहम्मद हबीब भाटी के नाम से फेसबुक आईडी उस मोबाइल में इंस्टॉल किया जाना पाया गया है एवं फोन से संलग्न मेमोरी कार्ड में आरोप पत्र के समान तीन पिक्चर फाइल पायी गयी हैं अर्थात् प्रदर्श पी–7 में दर्शित फोटोग्राफ्स के समरूप पिक्चर फाइल पाई गयी हैं। जिनके मेमोरी कार्ड में अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षित किये जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है।

(vi) इस प्रकार से एफएसएल रिपोर्ट से अभियुक्त से जब्त मोबाइल के मेमोरी कार्ड में प्रदर्श पी–7 फोटोग्राफ जैसी इमेज पायी गयी है तथा प्रदर्श पी–7 में ''गुणपति नाबालिक का रेप करने की कोशिश करते हुए'' का अंकन है एवं साक्षियों द्वारा इससे उनकी तथा अन्य व्यक्तियों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का कथन किया गया है। जिससे अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त हबीब भाटी द्वारा दिनांक 21.09.2021 से पूर्व किसी समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी फेसबुक आईडी से हिन्दू धर्म के देवी–देवताओं के संबंध में उनकी मान्यताओं को जानते हुए उनका साशय अपमान करने व उस धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई है।

(vii) सुसंगत विधि का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उपर्युक्त दोषसिद्ध आपराधिक कार्य अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295A में परिभाषित अपराध के लिए दायित्वाधीन बनाता है किन्तु धारा 66–F अर्थात् साइबर आतंकवाद के अपराध के गठन के लिए आवश्यक तथ्य अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है एवं साबित तथ्य अभियुक्त को धारा 66–F सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित व दण्डनीय अपराध हेतु दायित्वाधीन नहीं बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 295A भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाना और धारा 66–F सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अपराध हेतु दोषमुक्त किया जाना उचित पाया जाता है।

– आदेश–

9– परिणामतः अभियुक्त हबीब भाटी पुत्र अलाउदीन भाटी उम्र 66 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 26 झगड़ा मस्जिद के पास कस्बा रामगढ सेठान पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर राजस्थान को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 295A भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है एवं अपराध अंतर्गत धारा 66–F सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(विकास ऐचरा)
(अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर)
जिला–सीकर(राज.)

सजा के बिंदु पर सुना गया

10– अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध साबित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे।

उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा दोषसिद्ध अपराध की गंभीर प्रकृति तथा इसके समाज पर पड़ने वाले व्यापक प्रतिकूल असर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्डादेश से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि यद्यपि दोषसिद्ध अपराध मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है तथा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का भी कोई रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है किन्तु दोषसिद्ध अपराध की गंभीर प्रकृति व समाज पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

::दण्डादेश::

12–

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	दोषसिद्ध	दण्डादेश
1	हबीब भाटी पुत्र अलाउदीन भाटी उम्र 66 वर्ष, निवासी– वार्ड नंबर 26 झगड़ा मस्जिद के पास कस्बा रामगढ सेठान पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर राजस्थान	धारा 295A भारतीय दण्ड संहिता	2 (दो) वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000/– रूपये अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

अभियुक्त द्वारा बीएनएसएस की धारा–481 (437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) की पालना की जा चुकी है। प्रकरण में जब्तशुदा मोबाइल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

अभियुक्त द्वारा पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि धारा–428 द.प्र.सं. के तहत मूल सजा में समायोजित की जावे तथा उपर्युक्तानुसार सजा वारंट बनाया जावे । अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

(विकास ऐचरा)
अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला–सीकर(राज.)

13– निर्णय आज दिनांक 17.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ऐचरा)
अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला–सीकर(राज.)